भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 410
जिसका उत्तर गुरुवार, 22 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में अनावश्यक याचिकाएं

410 श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय का जनहित याचिकाओं आदि के माध्यम से न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध दाखिल अनावश्यक याचिकाएं जिनके कारण विकास कार्य ठप हो जाते है और नीतिगत निर्णय लेने में विलंब होता है, के संबंध में क्या रूख है ;

(ख) क्या मंत्रालय या उच्चतम न्यायालय कुछ कड़े दिशा-निर्देश जारी करेगा कि सरकार के विरूद्ध मामले, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, केवल तभी दायर किए जा सकते है जब कानून संबंधी कोई ठोस प्रश्न हो ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के पास ऐसी याचिकाओं को रोकने के लिए क्या विकल्प हैं ताकि प्रशासन सुचारु रूप से कार्य कर सके ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : प्रशासनिक कार्रवाईयों के विरुद्ध विधिक और संवैधानिक उपचारों को संविधान के उपबंधों के अधीन गारंटीकृत किया गया है । याची को स्वतंत्रता है कि वह अपने कार्यों का बचाव करने के लिए प्रशानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध मामला फाइल करे या नहीं और प्रतिरक्षा करे कि उनकी कार्रवाई विधिक और संवैधानिक रुप से विधिमान्य है ।

(ख) और (ग) : यह विनिश्चय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है कि क्या याचिका में कोई गुण या कोई विधिक सारवान प्रश्न है या नहीं । इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है । फिर भी, विधिक कार्य विभाग द्वारा सम्यक रुप से विधिक्षित अभिवचन फाइल करने की प्रक्रिया का उपबंध करके और अनुभवी काउंसेल /विधि अधिकारियों की नियुक्ति करके संघ सरकार के हितों की प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ।

****